



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1241]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929

No. 1241]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2007
का.आ. 1747(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिष्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 अक्टूबर, 2007 का उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएँ प्रबृत्त होंगी, अर्थात :—

- (क) धारा 2;
- (ख) धारा 6;
- (ग) धारा 7;
- (घ) धारा 8;
- (ङ) धारा 9;
- (च) धारा 11;
- (छ) धारा 12;
- (ज) धारा 17;
- (झ) धारा 18;
- (अ) धारा 27;
- (ट) धारा 29;
- (ठ) धारा 30;
- (ड) धारा 32;
- (द) धारा 40;
- (ए) धारा 41;

- (त) धारा 42;
- (थ) धारा 43, सिवाय धारा 53ख, धारा 53ग, धारा 53घ, धारा 53इ, धारा 53च, धारा 53छ, धारा 53ज, धारा 53झ, धारा 53अ, धारा 53ट, धारा 53ठ, धारा 53ड, धारा 53इ, धारा 53ण, धारा 53त, धारा 53थ, धारा 53द, धारा 53ध, धारा 53 न, धारा 53प।
- (द) धारा 44;
- (ध) धारा 45;
- (न) धारा 46;
- (प) धारा 47;
- (फ) धारा 48; और
- (ब) धारा 49।

[फा. सं. 5/2/2007-सी एल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2007

S.O. 1747(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (2) of Section 1 of the Competition (Amendment) Act, 2007 (39 of 2007), the Central Government hereby appoints 12th day of October, 2007 as

the date on which the following sections of the said Act shall come into force, namely :—

- (a) Section 2;
- (b) ~~Section 6;~~
- (c) ~~Section 7;~~
- (d) Section 8;
- (e) Section 9;
- (f) ~~Section 11;~~
- (g) Section 12;
- (h) Section 17;
- (i) Section 18;
- (j) Section 27;
- (k) Section 29;
- (l) Section 30;
- (m) Section 32;
- (n) Section 40;
- (o) Section 41;
- (p) ~~Section 42;~~
- (q) Section 43, except sections 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 53I, 53J, 53K, 53L, 53M, 53N, 53O, 53P, 53Q, 53R, 53S, 53T, 53U;
- (r) Section 44;
- (s) Section 45;
- (t) Section 46;
- (u) Section 47;
- (v) Section 48; and
- (w) Section 49.

[F. No. 5/2/2007-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.